रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11 / लाई0
न्यूज पेपर / 91 / 05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशलन रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, सोमवार, 9 जुलाई, 2007**

**आषाढ 18, 1929 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या–1187 / 79–वि–1–07–01 (क)29–2007

लखनऊ, 9 जुलाई 2007

अधिसूचना

# विविध

"भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 7 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

**उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम 2007**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

**उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिए**

## अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 जून 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या सन् 1996 की धारा–3 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 मे उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी। अर्थात :–

(3) आयोग में प्रतिष्ठा योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे।

धारा 4 का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 4 में–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिये पद धारण करेंगे।

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यइस रूप में अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेंगे।

(ख) उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(6) (क) अध्यक्ष को राज्य के राज्यमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी,

(ख) उपाध्यक्ष को राज्य के उप मंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2007

निरसन और अपवाद

4– (1) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीनकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

# उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) का अधिनियम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के लिये किया गया था; आयोग के कामकाज में और अधिक गतिशीलता लाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि उक्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह सदस्यो, जिनमें से अध्यक्ष सहित सोलह सदस्य पिछड़े वर्गो से होंगे, से किया जायेगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिये या राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्य मंत्री एवं उपमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

तत्पश्चात यह विनिश्चय किया गया कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिये व्यक्तियों के नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में जाति के प्रतिबन्ध को निकाल दिया जाय।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपर्युक्त उपान्तर सहित प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से

**वीरेन्द्र सिंह**

प्रमुख सचिव